कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल , उदयपुर

।। कार्यालय–आदेश ।।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102/व.अ./सी.भ./एन.जे./2011–12 दिनाक 07.04.2017 के द्वारा व.अ./2011 दिनांक 19.10.2016 के द्वारा दिये गये निर्देश व दिनाक के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन श्रखृंला वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 संशोधित परिणाम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष रिट याचिकाओं मे पारित आदेश दिनाक 21.09.2015 के अनुपालना में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–II(मा.शि.) प्रतियोगी परीक्षा 2011 के विभिन्न विषय के अंतर्गत 5 प्रतिशत रोके गये पद तथा अपात्रता के कारण रिक्त रहे पदों के विरूद्व चयनित एवं नियुक्ति हेतु अभिस्तावित अभ्यर्थियो को **वरिष्ठ अध्यापक–सामाजिक विज्ञान/अंग्रेजी** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2008 के अनुसार पी.बी.2 (9300–34800) ग्रेड पे–4200 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कार्यग्रहण करने की दिनांक से नियमानुसार देय नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक–प.8(1)कार्मिक/ क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्थाप्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें–

1. इनकी पात्रता एवं इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशेक्षिक, आयु, जाति एवं अन्य आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक–एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेगें, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगें।

2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचार रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

3. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें।

4. विवाहित अभ्यर्थी के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।

5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें।

6. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि –

   (अ) अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हो। अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है", अर्थात

अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

(ब) अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लोटा दें।

उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करावें।

7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से संलग्न प्रारूप में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

8. जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश माननीयउच्च न्यायालय द्वारा परिविक्षाकाल के सम्बन्ध में डी.बी.सिविल याचिका संख्या 2963/2007 गोपाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.07.15 के अध्याधीन होगी ।

9. संस्थाप्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेगें।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **30.04.2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(शिवजी गौड)
शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

क्रमांकः–शिउनि–मा/उदय/संस्था–ब/फा–1051–56/2017/ 44
दिनांक 18 -04-2017

प्रतिलिपी–सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
6. आयुक्त रा.मा.शि.अ.राजस्थान सरकार, जयपुर
7. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
9. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,..
10. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं.स...
11. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि...
12. संबंधित कार्मिक (पंजीकृत डाक द्वारा)
13. गार्ड पत्रावली

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल उदयपुर

क्रमांकः–शिउनि–मा / उदय / संस्था–ब / फा–1051.56 / आरपीएससी / 2017 / 44 दिनांक 18.4.2017

क्र. सं.	वर्ग	मेरिट नं.	आशार्थी का नाम पिता का नाम व पता	जन्म तिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति आशार्थी का चयन किया गया है	पदस्थापन स्थान	जिला
1	3	2	7	6	8	8	9
			विषयः– सामाजिक विज्ञान				
1	ST-WE-WD	2361	सुशीला बाई मीणा पुत्री श्री मीठीलाल मीना गांव खुबपुरा पोस्ट करगांव तह. सपोटरा करोली–322255	02-07-1988	STF WD	भीम(भीम)	राजसमन्द
2	TSP-ST	1903	रायचन्द डामोर पुत्र श्री मोगा डामोर, मु0भरतगढ पोस्ट कलिंजरा तह. कुशलगढ बांसवाडा–327801	15-10-1985	TSTM	नागदा बडी (कुशलगढ)	बांसवाडा
			विषयः– अंग्रेजी				
1	BC	1114	शब्बीर मोहम्मद मंसूरी पुत्र जमालुद्दीन पिंजारा , ईमलीवाला मकान, हुसैनी मोहल्ला बडी सादडी चितौडगढ 312403	10-12-1985	OBCM	रतीचन्द जी का खेडा (बडीसादडी)	चितौडगढ
2	BC	**1120**	मुकेश पाटीदार पुत्र श्री करूणा शंकर पाटीदार मंकाम पोस्ट–खडगदा तह0सागवाडा जिला डूंगरपुर– 314027	05-10-1986	OBCM	भेमई (गलियाकोट)	डूॅगरपुर
3	TSP-ST	2135	रविन्द्रकुमार मीणा पुत्र श्री शंकरलाल मीणा,मु0पो0 बाबा की बार वाया चितरी तह. गलियाकोट डूंगरपुर 314035	19-06-1988	TSTM	डेचा (सागवाडा)	डूॅगरपुर

(शिवजी गौड)
शिक्षा उपनिदेशक(माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल,उदयपुर